उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901)(संशोधन)अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्याः05 वर्ष, 2023)

उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, 1901(उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2001) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1)	इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम,1901)(संशोधन) अधिनियम , 2022 है।
		(2)	अन्यथा उपबंधित के सिवाय,यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।
धारा 1 में संशोधन	2		उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम,1901(उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,2001) (इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नवत् सपष्टीकरण अतःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात् :– **सपष्टीकरणः** इस धारा के प्रयोजनार्थ **"सम्पूर्ण उत्तराखण्ड"** मे, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य मे यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के अतंर्गत धोषित समस्त वृहत्तर नगरीय क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य मे यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के अतंर्गत धोषित समस्त संक्रमणशील क्षेत्र , लधुतर नगरीय क्षेत्र भी सम्मिलित है।"
धारा 233क का अतःस्थापन	3	"अध्यारोही	मूल अधिनियम की धारा 233 के पश्चात् नई धारा निम्नवत् अतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्:– **233क**. किसी अन्य अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी निर्णय/ डिक्री/आदेश या दिशा निर्देशों में उससे

		प्रभाव	असंगत किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम के प्रावधान विधिमान्य एवं प्रभावी समझे जाएंगे।"
विधिमान्यकरण	**4.**		धारा 2 द्वारा मूल अधिनियम में किए गए संशोधन मूल अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिंनाक से किए गए समझे जांएगे और तदनुसार उक्त तारीख को या उसके पश्चात् और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कार्रवाई या बात, किसी न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी सभी प्रयोजनों के लिए उतनी ही विधिमान्य और प्रभावी रूप से की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उक्त संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हैं।
निरसन और व्यावृत्ति	**5**	(1) (2)	उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू– राजस्व अधिनियम,1901)(संशोधन) अध्यादेश,2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबनधों के अधीन की गयी समझी जायेगी ।